भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †30

सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराए में वृद्धि का पर्यटन पर प्रभाव

†30. श्री दयानिधि मारन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का विश्लेषण करने के लिए हाल ही में कोई आकलन या अध्ययन किया है कि बढ़ते विमान किराए से घरेलू पर्यटन रुझान किस प्रकार प्रभावित हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पारदर्शी तरीके से मूल्य-निर्धारण को बढ़ावा देने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों और विनियामक निकायों के साथ काम कर रही है कि घरेलू पर्यटकों के लिए हवाई यात्रा सस्ती बनी रहे और अब तक इस ओर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय पर्यटन व्यवसायों, जैसे होटल, रेस्तरां और टूर ऑपरेटर, जो पर्यटकों की कम संख्या के कारण मंदी का सामना कर रहे हैं, पर इसके वित्तीय प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) क्या घरेलू पर्यटन के लिए राजसहायता अथवा प्रोत्साहनों के कारण संभावित विमान किराए वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के बीच कोई समन्वय किया जा रहा है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है कि यात्रा लागत, विशेषकर विमान किरायों में उतार-चढ़ाव से घरेलू पर्यटन क्षेत्र के विकास पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय द्वारा घरेलू पर्यटन पर बढ़ते विमान किराए के प्रभाव के विश्लेषण के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि विमान किराये न तो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और न ही विनियमित किए जाते हैं। वायुयान नियम, 1937 के प्रावधानों के तहत, शेड्यूल्ड विमान सेवाओं में सेवारत प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम द्वारा प्रचालन लागत, सेवाओं की विशेषता, औचित्यपूर्ण लाभ तथा सामान्यत: प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करना अपेक्षित है। एयरलाइनें उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अध्यधीन अपनी प्रचालन व्यवहार्यता के अनुसार उचित विमान किराए वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए प्रभावी और पर्याप्त कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस उद्देश्य के लिए, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने आरसीएस-उड़ान योजना की शुरूआत की है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को किफायती बनाते हुए इसे सुविधाजनक बनाना/प्रोत्साहित करना है। पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी में और सुधार करने के उद्देश्य से चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत व्यवहार्यता अंतराल निधि (वीजीएफ) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय किया है।

*****